駐印度台北經濟文化中心 與 印度台北協會 標準及符合性評鑑相互合作協定

駐印度台北經濟文化中心與印度台北協會,以下簡稱為「雙方」

考量雙方在各自領土內,進口及商品販售皆須符合特定標準及/或其他 規範性文件。

申明雙方各自領土之國家標準機構皆有職權依據各自之法令以適當之標準及規範性文件發給產品符合性及管理系統之證書/執照/標識。

爰同意如下:

1. 定義

- 1.1 本協定及其附件所用之一般性語彙皆應具有最新版之 ISO/IEC Guide 2:「標準化與相關活動——般語彙與其定義」及 ISO/IEC 17000:「符合性評鑑—詞彙與一般原則」內之定義所 給定的涵義。此外,為本協定之目的,應適用下列語彙及定義:
- 1.2 國家標準機構(NSB): 位於雙方領土內之國家標準機構,意指位於臺北的標準檢驗局及位於新德里的印度標準局。
- 1.3 執照/證書(Licence/ Certificate):在驗證系統規定下核發的文件, 該文件權威地指出產品、程序或服務與特定的標準相符。
- 1.4 產品(Product):無論在何處被提及,產品包括產品、過程或服務。

2. 一般性條款

2.1 本協定下的所有活動應根據各自領土內管理國家標準機構之法律、 法令、條例及規定管制與執行。

- 2.2 本協定應適用之產品範疇由雙方確定各自國家標準機構就相關產品範疇之符合性評鑑有足夠之技術能力及經驗,且經國家標準機構同意後決定之。
- 2.3 無論何時,本協定之條文應僅於產品範疇被確認且由雙方共同同 意後始能適用。如果產品受法規管制,只有在雙方領土內各自法 規主管機關同意之下,方有本協定條文之適用。

3. 產品驗證

3.1 在本協定所提及之條件架構下,當雙方領土內之現有設施已相互承認及遵守各自管制要求後,應以階段性方式落實及追求以下合作領域,並應視每一階段為進一步之合作,且涵蓋所有前一階段同意之合作項目。當前一階段進入下一階段合作時,應由雙方國家標準機構局長同意,而有關協定同意該等合作階段交換文件,應視為本協定整體之一部分。

3.1.1 第一階段

雙方國家標準機構應相互授權以代理執行其中一方之追查檢驗作業,並送抽樣樣品至雙方國家標準機構,其檢驗報告應被雙方國家標準機構所接受,作為執照/證書效力決定依據,包含執照/證書之範圍增列、展延、暫停標識、中止、取消等。

3.1.2 第二階段

雙方國家標準機構應相互授權以代理執行其中一方驗證前/ 初始檢驗作業,並視適用時,送抽樣樣品至另一方國家標 準機構,其檢驗報告應被另一方國家標準機構接受,作為 核發執照/證書之依據。

3.1.3 第三階段

雙方國家標準機構應准許實驗室(位於製造申請者/執照持有人之領土所在地為前提)執行驗證前/初始或追查檢驗作業期間之抽樣測試,該實驗室應具備由 ILAC/APAC 會員,且經雙方國家標準機構認可之實驗室,依該方國家標準機構之規格及測試方法標準所提出之 ISO/IEC 17025 認證。一

方國家標準機構應接受另一方測試報告,作為執照/證書之 範圍增列、展延、中止、取消等決定依據。

3.1.4 第四階段

當雙方標準調和時,雙方國家標準機構應接受實驗室就針對彼此所有要求所提出之檢驗報告和測試報告,該實驗室應具備由 ILAC/ APAC 會員且獲個別國家標準機構認可之機構所提出之 ISO/IEC 17025 認證。檢驗報告和測試報告應作為另一方國家標準機構准許/核發執照/證書及執照/證書之範圍增列、展延、中止、取消等決定依據。

- 3.2 雙方國家標準機構承認應由各自國家標準機構自行裁量核發執照/ 證書,執照/證書之核發應符合適用之領土內主管規範要求及符合 國家標準機構之相關標準。
- 3.3 當一方收到另一方國家標準機構依據各自驗證制度為基礎之檢驗報告及測試報告,雙方國家標準機構應具權力執行必要之行動。
- 3.4 雙方國家標準機構於任一階段時,當必要時,可能考慮協助拜訪 另一方國家標準機構視為必要之申請者、執照持有單位或實驗室, 並應事先以書面方式溝通。
- 3.5 雙方國家標準機構應同意提供彼此產品驗證之程序,包含符合性標識使用管理之法令、條例及規定,並應以英文表示。
- 3.6 雙方國家標準機構應同意以英文方式提供另一方標準及提供依據 本協定第2.2 項及2.3 項所同意涵蓋之產品清單之相關規範條文, 並應於1個月內以英文通知任何修訂標準或規範條文之最新版本。
- 3.7 雙方國家標準機構同意假如任何於對方領域之人或組織違反個別的國家標準機構驗證制度時,應提供一切協助以採取需要的法律行動。然而,任何採取之法律行動將由任一方個別領域/國家標準機構之法律所規管。

4. 費用

本協定下任何活動相關費用應在雙方同意之條款及條件下收取。

5. 機密性

- 5.1 雙方國家標準機構應視所有有關執行執照/證書之資訊/雙方信件為機密,並應僅於執行本協定之目的時使用。
- 5.2 雙方國家標準機構於本協定下的保密義務不適用於以下情況之資訊:
 - a) 於雙方國家標準機構無過失的情況下,屬於或已成為公共領域的一部分;
 - b) 依本協定獲得該資訊前即為一方之國家標準機構所有;
 - c) 由一方之國家標準機構自具有效法定所有權之第三方獲得;
 - d) 為法律或法院裁定所需要。

6. 義務

倘一方之國家標準機構遭訴訟求償,且該訴訟與另一方國家標準機構之活動有關,第一個國家標準機構應立即通知第二個國家標準機構該訴訟,並立即寄送所有相關之資訊及文件,第一個國家標準機構於接獲另一方國家標準機構之同意及另一方國家標準機構指派之辯護人於法庭上辯護前不應支付原告任何款項。

7. 消費者申訴

雙方國家標準機構應於另一方國家標準機構要求時調查消費者申訴並寄送調查報告。

8. 資訊及人員交換

- 8.1 雙方國家標準機構亦應同意交換有關標準化及符合性評鑑之資訊 及文件,以促進產品貿易。
- 8.2 在雙方有興趣的範圍內,雙方國家標準機構亦應同意於雙方同意 且為標準化及符合性評鑑之項目訓練對方人員及安排訓練計畫。
- 8.3 在共同同意的基礎上,雙方國家標準機構亦應於前述範圍內同意人員交換。

9. 協定之效期

- 9.1 本協定應自雙方最後簽署日生效,有效期限為 5 年,自此之後,除非終止,每 5 年自動更新效期。
- 9.2 本協定得於任一方 3 個月前以書面事先通知終止。
- 9.3 當特定工作於第 9.2 項所述「通知」期間內被執行時,該工作應繼續執行直到被完成。

10. 協定之修訂

本協定得於任何時間經雙方書面同意後修正或修訂。

11. 爭端

與本協定有關之任何爭端、爭議或要求應由國家標準機構和雙方以互相諮詢及協商的方式溫和地解決。

12. 語言

執照/證書、測試報告、檢驗報告及根據本協定所擬之信件與通知均應以英文為之。

13. 權責機關

執行本協定之權責機關:

- a) 駐印度台北經濟文化中心為位於臺北的標準檢驗局
- b) 印度台北協會為位於新德里的印度標準局

為此,雙方代表各經正式授權,爰於本協定簽署,以昭信守。

本協定以中文、印度文及英文各繕製一式兩份,3種文本同一作準,如有任何歧異,應以英文本為準。

駐印度台北經濟文化中心代表

印度台北協會代表

专位

葛葆萱代表

ンoンソネケト 1810 日期

新俊艺

批里上

戴國瀾 會長

2022年5月18日

日期

台北

地點

AGREEMENT BETWEEN

THE TAIPEI ECONOMIC AND CULTURAL CENTER IN INDIA AND

THE INDIA-TAIPEI ASSOCIATION, TAIPEI ON MUTUAL COOPERATION IN THE FIELD OF STANDARDIZATION AND CONFORMITY ASSESSMENT

The Taipei Economic and Cultural Center in India, and The India-Taipei Association, Taipei hereinafter referred to as 'the Parties'.

Considering that in the respective territories of the Parties, import and sale of certain goods of the Parties are subject to conformity with certain standards and/ or other normative documents;

Affirming that the National Standards Bodies (NSBs) in the respective territories of the Parties have the authority according to their respective laws to issue Certificates/ Licences/ Marks of Conformity for product and management systems according to their applicable standards and normative documents.

Have agreed as follows:

1. DEFINITIONS

1.1 General terms used in this Agreement and its Annexes shall have the meaning given in the definitions contained in the latest edition of ISO/IEC Guide 2: "General terms and their definitions concerning standardization and related activities" and ISO/IEC 17000: "Conformity assessment – Vocabulary and General Principles". In addition, the following terms and definitions shall apply for the purpose of this Agreement:

- 1.2 NSB: The National Standards Body (NSB) in the territory of either Party means the Bureau of Standards, Metrology and Inspection, Taipei and Bureau of Indian Standards, New Delhi.
- 1.3 Licence/ Certificate: Document issued under the rules of certification system indicating authoritatively that a product, process or service is in conformity with a specific standard.
- 1.4 Product: Wherever mentioned, product would include product, process or service.

2. GENERAL

- 2.1 All the activities in this Agreement shall be subject to, and implemented in accordance with, the Laws, Acts, Rules and Regulations governing the NSBs in the respective territories.
- 2.2 The product categories for which this Agreement shall be applicable shall be decided between the Parties after ascertaining that the respective NSBs have the technical competence and experience in conformity assessment of the relevant product categories and with the consent of NSBs.
- 2.3 The terms of the Agreement shall apply to only in respect of the product categories identified and jointly agreed at any given time. In the case of regulated products, the provisions of this Agreement shall apply only when agreed by the respective regulatory authorities in the territories of both the Parties.

3. PRODUCT CERTIFICATION

3.1 Within the framework of the conditions mentioned in the Agreement, the following areas of cooperation shall be pursued and given effect in a phased manner, after satisfying that the facilities available in the territories of the Parties are mutually

acceptable and in compliance with respective regulatory requirements. It shall be considered that each phase is a step forward and includes the cooperation agreed to in all previous phases. The progression from phase to phase shall be as mutually agreed between the Director Generals of the two NSBs and the agreed exchanged notes on such agreement shall be considered as an integral part of this Agreement.

3.1.1 Phase:1

The NSBs shall authorize each other as agents to carry out surveillance inspection and taking out of samples for sending to the NSBs. The inspection reports shall be accepted by the NSBs for the purpose of operation of licences/ certificates, including taking decisions relating to extension of scope, renewal, stoppage of marking, suspension, cancellation, etc. of such licences/ certificates.

3.1.2 Phase:2

The NSBs shall authorize each other as agents to carry out pre-certification/ preliminary inspection, and whenever applicable, draw samples for sending to the other NSB. The inspection reports shall be accepted by the other NSB for the purpose of grant/ issuance of licences/ certificates.

3.1.3 Phase:3

The NSBs shall permit testing of samples drawn during the pre-certification/ preliminary inspection or surveillance inspection in laboratories (located in the territory where the applicant/ licensee manufacturing premises are situated), which have an accreditation against ISO/IEC 17025, for all the tests as per NSB's specifications and test methods standards, from a body which is a member of ILAC/ APAC and recognized by the NSB. The NSB shall accept the test reports for the purpose of operation of licences/ certificates, including taking decisions relating to extension of scope,

renewal, suspension, cancellation, etc. of such licences/certificates.

3.1.4 Phase:4

Wherever the Standards are harmonized, the NSBs shall accept the inspection reports, and test reports for all requirements of each other from laboratory(ies) accredited according to ISO/IEC 17025 from a body which is a member of ILAC/ APAC and recognized by the respective NSB. These reports shall be used for the purposes of granting/issuing licences/ certificates in the territory of other NSB; and for taking decisions relating to extension of scope, renewal, suspension, cancellation of such licences/certificates and other operational issues.

- 3.2 Issuance of Licences/ Certificates by any NSB shall be the sole discretion of the respective NSB. It may be done after satisfying itself as per applicable regulatory requirements in the territory and the relevant standards of the NSB have been complied to.
- 3.3 The NSBs shall have the authority to take necessary actions as per their Certification Schemes on the basis of inspection and test reports received from the other NSB.
- 3.4 The NSBs may consider facilitating visit to an applicant or licensee unit or laboratory that is deemed necessary, at any stage by the other NSB, which shall be communicated in writing in advance.
- 3.5 The NSBs shall agree to provide to each other the procedures of product certification including Acts, Rules and Regulations governing the use of the mark of conformity, in English.
- 3.6 The NSBs shall agree to provide to each other the standards and regulatory provisions, in English, related to the products

covered by the List agreed in accordance with provisions of Paragraphs 2.2 and 2.3. NSBs shall inform each other within one month, of any amendments to, or the new version of these standards or regulatory provision, in English.

3.7 The NSBs shall provide all assistance to each other for initiating legal actions required to be taken against any person or organization in the corresponding territory in case of violation of Certification Scheme of the respective NSB. However, any legal action to be taken will be governed as per the laws in the respective territory/ NSB.

4. FEE

The costs related to any activity under this Agreement shall be charged on mutually agreed terms and conditions.

5. CONFIDENTIALITY

- 5.1 The NSBs shall keep all information/ correspondence with each other regarding operation of licences/ certificates, as confidential and shall utilize it only for the purpose of operation of this Agreement.
- 5.2 The confidentiality obligations of NSBs under this Agreement shall not apply to information which:
 - a) is or has become part of the public domain through no fault of the NSBs;
 - b) is in the possession of one of the NSBs prior to the receipt of the information under this Agreement;
 - c) is received by one of the NSBs from third party with a good legal title thereto;
 - d) is required by law or by a court order.

6. LIABILITY

If a claim is filed against either NSB, in connection with the activities of the other NSB, the first NSB shall immediately inform the second NSB of such claim and send without delay all relevant information and documents. The first NSB shall not pay the claimant any money without the consent of the other NSB, and not before the other NSB has appointed an advocate and has the opportunity to defend itself in a court of law.

7. COMPLAINTS

The NSBs shall investigate consumer complaints, whenever requested by the other NSB and send the investigation report.

8. EXCHANGES OF INFORMATION AND PERSONNEL

- 8.1 The NSBs shall also agree to the exchange of information and documents in the areas of standardization and conformity assessment to facilitate trade of products.
- 8.2 The NSBs shall also agree to train each other's personnel and organize training programs on mutually agreed terms in the fields of standardization and conformity assessment, in the areas of mutual interest.
- 8.3 The NSBs shall also agree to exchange personnel in the above areas on mutually agreed basis.

9. VALIDITY OF THIS AGREEMENT

9.1 The Agreement shall be in force for 5 years from the last date of its signature thereof by the Parties. Thereafter, it will be automatically renewed for a subsequent period of 5 years, unless terminated.

- 9.2 This Agreement may be terminated by either Party by giving three months' advance notice in writing.
- 9.3 If during the period of the "notice" as mentioned in 9.2, a specific assignment is being conducted under the conditions of this Agreement, this assignment will continue until its completion.

10. MODIFICATION

This Agreement may be revised or amended at any time upon the mutual written consent of the Parties.

11. DISPUTE

Any dispute, controversy or claim arising from or in connection with this Agreement shall be settled amicably by mutual consultations and negotiations by the NSBs and the Parties.

12.LANGUAGE

The licences/ certificates, test reports, inspection reports as well as all correspondences and notices pursuant to this Agreement, shall be in the English language.

13. COMPETENT AUTHORITIES

Competent authorities that shall implement this Agreement are:

- a) For the Taipei Economic and Cultural Center in India is the Bureau of Standards, Metrology and Inspection, Taipei.
- b) For the India-Taipei Association, Taipei is the Bureau of Indian Standards, New Delhi.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done in duplicate in two original copies each in the Chinese, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of any discrepancy, the English text shall prevail.

For the Taipei Economic and Cultural Center in India

For the India-Taipei Association, Taipei

Baushuan Ger Representative

Gourangalal Das

Director General

Date 18th May 2022

Date

New Velki

Place

Place Taipei

मानकीकरण और अनुरूपता आकलन के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर ताइपे इकनोमिक एंड कल्चरल सेण्टर इन इंडिया और

भारत-ताइपे एसोसिएशन, ताइपे के बीच समझौता

ताइपे इकनोमिक एंड कल्चरल सेण्टर इन इंडिया, और भारत-ताइपे एसोसिएशन, ताइपे को इसके बाद 'पक्ष/पक्षों' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

इस पर विचार करते हुए कि पक्षों से संबंधित क्षेत्रों में, पक्षों के कुछ सामानों का आयात और बिक्री कुछ मानकों की अनुरूपता और/या अन्य नियामक दस्तावेजों के अनुसार है;

यह पुष्टि करते हुए कि पक्षों से संबंधित क्षेत्रों में राष्ट्रीय मानक निकायों (एनएसबी) के स्वयं से संबंधित कानूनों के अनुसार उनके लागू मानकों और नियामक दस्तावेजों के अनुसार उत्पाद और प्रबंधन प्रणालियों के लिए प्रमाण पत्र / लाइसेंस / अनुरूपता के चिन्ह जारी करने का प्राधिकार है।

निम्नानुसार सहमत हुए हैं:

1. परिभाषाएं

- 1.1 इस समझौते और इसके अनुलग्नकों में प्रयुक्त सामान्य शब्दों का अर्थ आईएसओ/ आईईसी गाइड 2 : "सामान्य शर्तें और मानकीकरण और संबंधित गतिविधियों से संबंधित उनकी परिभाषाएं" और आईएसओ / आईईसी 17000: "अनुरूपता मूल्यांकन शब्दावली और सामान्य सिद्धांत" के नवीनतम संस्करण में दी गई परिभाषाओं में अन्तर्विष्ट हैं । इसके अतिरिक्त, इस समझोते के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित नियम और परिभाषाएं लाग होंगी:
- 1.2 एनएसबी: राष्ट्रीय मानक निकाय (एनएसबी) पक्षों के क्षेत्र में अर्थ है, ब्यूरो ऑफ़ स्टैंडर्ड्स, मैट्रोलोजी एंड इंस्पेक्शन,, ताइपे और भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली है।
- 1.3 लाइसेंस/प्रमाण पत्र: प्रमाणन प्रणाली के नियमों के तहत जारी दस्तावेज जो आधिकारिक रूप से दर्शाता है कि कोई उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा एक विशिष्ट मानक के अनुरूप है।
- 1.4 उत्पाद: जहां कहीं भी उल्लेख किया गया है, उत्पाद में उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा शामिल होगी।

2. सामान्य

- 2.1 इस समझौते में सभी गतिविधियां संबंधित क्षेत्रों में (एनएसबी) को नियंत्रित करने वाले कानूनों, अधिनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार शर्ताधीन और लागू होंगी।
- 2.2 उत्पाद श्रेणियां जिनके लिए यह समझौता लागू होगा, दोनों एनएसबी की सहमित से एवं यह सुनिश्चित करने के बाद पक्षों के बीच तय किया जाएगा कि संबंधित एनएसबी के पास संबंधित उत्पाद श्रेणियों के अनुरूप मूल्यांकन के लिए तकनीकी क्षमता और अनुभव है ।
- 2.3 समझौते की शर्तें केवल पहचानी गई और किसी भी समय संयुक्त रूप से सहमत उत्पाद श्रेणियों के संबंध में लागू होंगी। विनियमित उत्पादों के मामले में, इस समझौते के प्रावधान तभी लागू होंगे जब दोनों पक्षों के क्षेत्रों में संबंधित नियामक प्राधिकरणों द्वारा सहमति व्यक्त की जाएगी।

3. उत्पाद प्रमाणन

3.1 समझौते में उल्लिखित शर्तों के ढांचे के अंतर्गत, सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों का अनुसरण किया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से प्रभावी किया जाएगा, संतुष्ट होने के पश्चात कि पक्षों के क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाएं परस्पर स्वीकार्य हैं और संबंधित नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में हैं। यह माना जाएगा कि प्रत्येक चरण एक कदम आगे है और इसमें पिछले सभी चरणों में सहमित सहयोग शामिल है। चरण-दर-चरण प्रगति दो एनएसबी के महानिदेशकों के बीच पारस्परिक रूप से सहमित होगी और इस समझौते पर सहमित आदान-प्रदान किए गए नोटों को इस समझौते का एक अभिन्न अंग माना जाएगा।

3.1.1 चरण:1

एनएसबी एक दूसरे को एजेंट के रूप में निगरानी निरीक्षण करने और एनएसबी को नमूने लेकर भेजने के लिए अधिकृत करेंगे। एनएसबी द्वारा लाइसेंस/प्रमाणपत्रों के संचालन के उद्देश्य से निरीक्षण रिपोर्ट स्वीकार की जाएगी, जिसमें ऐसे लाइसेंसों/प्रमाणपत्रों के दायरे के विस्तार, नवीनीकरण, अंकन को रोकने, निलंबन, रद्द करने आदि से संबंधित निर्णय लेना शामिल है।

3.1.2 चरण:2

एनएसबी पूर्व-प्रमाणन/प्रारंभिक निरीक्षण करने के लिए अभिकर्ताओं के रूप में एक-दूसरे को प्राधिकृत करेंगे, और जब भी लागू हो, दूसरे एनएसबी को भेजने के लिए नमूने लेंगे। अन्य एनएसबी द्वारा स्वीकृत /लाइसेंस जारी करने/ प्रमाणपत्र स्वीकृत करने के उद्देश्य से निरीक्षण रिपोर्ट स्वीकार की जाएगी।

3.1.3 चरण:3

एनएसबी पूर्व-प्रमाणन/प्रारंभिक निरीक्षण या प्रयोगशालाओं में निगरानी निरीक्षण के दौरान लिए गए नमूनों के परीक्षण की अनुमित देगा (उस क्षेत्र में जहां आवेदक/लाइसेंसधारी विनिर्माण परिसर स्थित हैं), जिनके पास एक निकाय से सभी परीक्षणों के लिए आईएसओ/आईईसी 17025 के लिए प्रत्यायन मान्यता है जो आईएलएसी/एपीएसी का सदस्य है और एनएसबी द्वारा मान्यता प्राप्त है एनएसबी ऐसे लाइसेंस/प्रमाण-पत्र के विषय-क्षेत्र के विस्तार, नवीनीकरण, निलंबन, रद्दीकरण आदि से संबंधित निर्णय लेने सिहत लाइसेंस/प्रमाणपत्रों के संचालन के प्रयोजनार्थ परीक्षण रिपोर्ट स्वीकार करेगें। ।

3.1.4 चरण:4

जहां कहीं भी मानकों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है, एनएसबी निरीक्षण रिपोर्ट और एक दूसरे की सभी आवश्यकताओं के लिए परीक्षण रिपोर्ट आईएसओ/आईईसी 17025 के अनुसार मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से एक ऐसे निकाय से स्वीकार करेंगे जो आईएलएसी/एपीएसी का सदस्य है औरसंबंधित एनएसबी द्वारा प्रत्यायित है। । इन रिपोर्टों का उपयोग अन्य एनएसबी के क्षेत्र में लाइसेंस/प्रमाणपत्र देने/जारी करने के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा; और कार्यक्षेत्र के विस्तार, नवीनीकरण, निलंबन, ऐसे लाइसेंसों/प्रमाणपत्रों को रद्द करने और अन्य परिचालन संबंधी मुद्दों से संबंधित निर्णय लेने के लिए किया जाएगा।

3.2 किसी भी एनएसबी द्वारा लाइसेंस/प्रमाण पत्र जारी करना संबंधित एनएसबी का पूर्ण विवेकाधिकार होगा। यह क्षेत्र में लागू नियामक अपेक्षाओं के अनुसार और एनएसबी के संगत मानकों के अनुपालन की संतुष्टि करने के पश्चात किया जाना चाहिए।

- 3.3 एनएसबी को अन्य एनएसबी से प्राप्त निरीक्षण और परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अपनी प्रमाणन योजनाओं के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का प्राधिकार होगा।
- 3.4 एनएसबी किसी एक आवेदक या लाइसेंसधारी इकाई या प्रयोगशाला के सुकर दौरे पर विचार कर सकते हैं, जिसे दूसरे एनएसबी द्वारा किसी भी स्तर पर आवश्यक समझा जाता है, जिसे पूर्व में लिखित रूप से सूचित करना होगा।
- 3.5 एनएसबी अंग्रेजी में अनुरूपता के चिह्न के उपयोग को नियंत्रित करने वाले अधिनियमों, नियमों और विनियमों सहित उत्पाद प्रमाणन की प्रक्रियाओं को एक दूसरे को प्रदान करने के लिए सहमत होंगे।
- 3.6 एनएसबी पैराग्राफ 2.2 और 2.3 के प्रावधानों के अनुसार सहमत सूची में शामिल उत्पादों से संबंधित मानकों और नियामक प्रावधानों को अंग्रेजी में एक दूसरे को प्रदान करने के लिए सहमत होंगे। एनएसबी अंग्रेजी में, इन मानकों के नए संस्करण या नियामक प्रावधान में किसी भी संशोधन के बारे में एक महीने के भीतर एक-दूसरे को सूचित करेंगे।
- 3.7 एनएसबी संबंधित एनएसबी की प्रमाणन योजना के उल्लंघन के मामले में संबंधित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए एक दूसरे को सभी सहायता प्रदान करेगें। हालांकि, की जाने वाली कोई भी कानूनी कार्रवाई संबंधित क्षेत्र/एनएसबी में कानूनों के अनुसार शासित होगी।

4. शुल्क

इस समझौते के तहत किसी भी गतिविधि से संबंधित लागत पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर ली जाएगी।

5. गोपनीयता

5.1 एनएसबी लाइसेंस/प्रमाणपत्रों के संचालन के संबंध में सभी सूचनाओं/पत्राचारों को गोपनीय रखेंगे और इसका उपयोग केवल इस समझौते के संचालन के उद्देश्य से करेंगे।

5.2 इस समझौते के तहत एनएसबी के गोपनीयता दायित्व उन सूचनाओं पर लागू नहीं होंगे जो:

- क) एनएसबी की किसी त्रुटि बिना सार्वजनिक डोमेन का हिस्सा है या बन गया है;
- ख) इस करार के तहत जानकारी प्राप्त होने से पूर्व किसी एक एनएसबी के अधिकार में;
- ग) मान्य वैध स्वामित्वधारी वाली किसी एक एनएसबी द्वारा तीसरे पक्ष से प्राप्त किया जाता है
- घ) कानून या न्यायालय के आदेश द्वारा आवश्यक है।

6. दायित्व

यदि किसी एनएसबी के खिलाफ अन्य एनएसबी की गतिविधियों के संबंध में दावा दायर किया जाता है, तो पहली एनएसबी तुरंत अन्य एनएसबी को इस तरह के दावे के बारे में सूचित करेगा और बिना किसी देरी के सभी प्रासंगिक जानकारी और दस्तावेज भेजेगी। पहला एनएसबी दावेदार, अन्य एनएसबी द्वारा अधिवक्ता नियुक्त करने और न्यायालय में खुद का बचाव करने के अवसर से पूर्व, अन्य एनएसबी की सहमित के बिना किसी भी पैसे का भुगतान नहीं करेगा।

7. शिकायतें

जब भी अन्य एनएसबी द्वारा अनुरोध किया जाएगा, एनएसबी उपभोक्ता शिकायतों की जांच करेगा और जांच रिपोर्ट भेजेगा।

8. सूचना और कार्मिकों का आदान-प्रदान

- 8.1 एनएसबी उत्पादों के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्रों में सूचनाओं और दस्तावेजों के आदान-प्रदान के लिए भी सहमत होगा।
- 8.2 एनएसबी मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन वाले पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में आपसी रूप से सहमत शर्तों पर एक-दूसरे के कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी सहमत होंगे।
- 8.3 एनएसबी उपरोक्त क्षेत्रों में परस्पर सहमित के आधार पर कार्मिकों का आदान-प्रदान करने के लिए भी सहमत होंगे।

9. इस समझौते की वैधता

- 9.1 समझौता पक्षकारों द्वारा उस पर हस्ताक्षर करने की अंतिम तिथि से 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद, यह स्वचालित रूप से 5 वर्षों के बाद की अविध के लिए नवीनीकृत हो जाएगा, जब तक कि इसे समाप्त नहीं किया जाता है।
- 9.2 किसी भी पक्ष द्वारा लिखित में तीन महीने की अग्रिम सूचना देकर इस समझौते को समाप्त किया जा सकता है।
- 9.3 यदि 9.2 में उल्लिखित "नोटिस" की अवधि के दौरान, इस समझोते की शर्तों के तहत एक विशिष्ट असाइनमेंट किया जा रहा है, तो यह असाइनमेंट इसके पूरा होने तक जारी रहेगा।

10. संशोधन

पक्षों की आपसी लिखित सहमित पर इस समझौते को किसी भी समय पुनरीक्षित या संशोधित किया जा सकता है।

11. विवाद

इस समझौते से या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, वाद या दावे को पारस्परिक परामर्श और एनएसबी और पक्षों द्वारा बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा।

12. भाषा

लाइसेंस/प्रमाण पत्रों, परीक्षण रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट और सभी प्रकार का पत्राचार और इस समझौते से संबंधित सभी नोटिस अंग्रेजी भाषा में होंगे।

13. सक्षम प्राधिकारी

इस समझौते को कार्यान्वयित करने वाले सक्षम प्राधिकारी हैं:

- क) ताइपे इकनोमिक एंड कल्चरल सेण्टर इन इंडियाके लिए ब्यूरो ऑफ़ स्टैंडर्ड्स, मैट्रोलोजीं एंड इंस्पेक्शन, ताइपे है।
- ख) भारत-ताइपे एसोसिएशन, ताइपे के लिए भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली है।

इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरी ने, इसके लिए विधिवत अधिकृत होने के कारण, इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

चीनी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दो मूल प्रतियों में दो-दो प्रतियों में हस्ताक्षरित किया गया, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

कृते ताइपे इकनोमिक एंड कल्चरल सेण्टर इन इंडिया, ताइपे कृते भारत-ताइपे एसोसिएशन, ताइपे

बौशुआन गेर प्रतिनिधि

दिनांक

(8th May, 2022

स्थान New Delhi गौरंगलाल दास

महानिदेशक

दिनांक

18th May, 2022

स्थान

Taipei